सख्या -10/2016/४५१/71-आयुष-2-2016-११(बी)/2015

प्रेषक

श्याम प्रकाश नारायण

अनु सचिव

उ0प्र0 शासन

सेवा में,

निदेशक,

होम्योपैथी

उ0प्र0 लखनऊ

आयुष अनुभाग 2 लखनऊ : दिनांक: 14 मार्च 2016

विषय- वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में एवं राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में रंगाई, पुताई एवं सुद्रढीकरण आदि से सम्बन्धित वित्तीय स्वीक़ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या-नि0हो0/१०४१-बजट/स्टीमेट/ १५-१६/१९२८ दिनॉक २२-०२-२०१६ के सन्दर्भ में मुझें यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में एवं राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में रंगाई, पुताई एवं सुद्रढीकरण आदि कार्यो के लिए आप द्वारा प्रस्तावित कार्यो के अनुसार कुल रू0 - ३१५४७७२/- (इक्कतीस लाख चौवन हजार सात सौ बहत्त्र रू0 मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

१- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्यावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

२- अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

३- वित्त बजट-१ के कार्यालय ज्ञाप दिनांक ३०-०३-२०१५ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

४- प्रायोजनान्तर्गत् प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकनेकी दृष्टि से निदेशक/प्राचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत् न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

५- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति इस शर्तके अधीन की जा रही है कि इस परियोजना पर आगामी वित्तीय स्वीकृति तभी प्रदान की जायेगी, जब इस धनराशि एवं पूर्व स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा भौतक प्रगति का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

२- उक्त् पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष २०१५-१६ के आय व्ययक में अनुदान संख्या-३४ के अधीन लेखाशीर्षक-४२१०-चिकित्सा तथा लोक-स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर-०१ शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-८०० अन्य व्यय-०८ होम्योपैथिक चिकित्सालय -२५ लघु निर्माण कार्य एवं अनुदान संख्या-३४ के अधीन लेखाशीर्षक-४२१० चिकित्सा तथा लोक-स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर-०२ ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-८०० अन्य व्यय-०४ होम्योपैथिक चिकित्सालय -२५ लघु निर्माण कार्य तथा अनुदान संख्या ३४ के अधीन लेखाशीर्षक-4२१० चिकित्सा तथा लोक-स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर-०१ शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-८०० अन्य व्यय-०९ राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज और अस्पताल -२५ लघु निर्माणकार्य मद के नामे डाला जायेगा

1- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या'-2/2015/बी0-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30;03;2015 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(श्याम प्रकाश नारायण)

अनु सचिव।

संख्या-10/2016/४५१(1)/71-आयुष-2-2016/तददिनॉक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

१- महालेखाकार,उ0प्र0 इलाहाबाद।
२- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ/कलेक्टेट लखनऊ/एटा/प्रतापगढ/महोबा।
३- वित्त नियंत्रक, होम्योपैथिक निदेशालय।
४- नियोजन अनुभाग-4
५- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-३ /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग 1/2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

६- गार्ड फाईल।

आज्ञा से ,

(श्याम प्रकाश नारायण)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।